अति आवश्यक
कोर्ट केस

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं, राजस्थान जयपुर

कमांक : अराज/सामान्य/2010/ 1139 दिनाँक : 17/8/10

समस्त संयुक्त निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन– राजस्थान।

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।

समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।

विषय : राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में लम्बित अपीलों के निस्तारण बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में स्थानान्तरण से संबंधित लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु केस प्रभारी द्वारा प्रयास नही किये जाने तथा समय पर जवाब प्रस्तुत नही किये जाने के कारण अनेक स्थानों पर स्वीकृत पदो के विरूद्ध अधिक कर्मचारी स्थगन आदेशों के प्रभाव से पदस्थापित हैं।

अतः संबंधित केस प्रभारियों को निर्देशित किया जावें कि संबंधित स्थाई राजकीय अधिवक्ता से तत्काल सम्पर्क कर बकाया प्रकरणों में जवाब प्रस्तुत कर शीघ्र सुनवाई हेतु अधिकरण में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाकर अपीलों के स्थगन आदेशों को खारिज करवाने की कार्यवाही की जावें।

पत्र को सर्वोच्च प्राथमिक प्रदान करें।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
राजस्थान जयपुर

कमांक : अराज/सामान्य/2010/ दिनाँक :

प्रतिलिपी निम्नलिखित वास्ते सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
3. श्री राजेश राज कुमावत, स्थायी राजकीय अधिवक्ता, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर, मो. नं. 9829355857 को भेजकर लेख हैं कि विभाग से संबंधित बकाया प्रकरणों के स्थगन आदेशों में शीघ्र सुनवाई/खारीज करवाने की कार्यवाही की जावें

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
राजस्थान जयपुर